





राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नः 0141-2228066 , 2228064 सीआईएन. :U24232RJ20118GC035067 फैक्स नं 0141-2228065

वेबसाईट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

ई-मेल :: edprmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(338)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2021/

2958

Dated: 16,09,2022

कार्यालय आदेश

भैषज एंव औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(338)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2021/989 Dated:11.04.2022 के अन्तर्गत M/s UNITED BIOTECH PVT LIMITED, FC-B-a Mohan Co-OP Industrial Estate Mathura Road, New Delhi-110044 द्वारा आईटम कोड 722 (Tab. Valganciclovir 450 mg) & 741 (Tab. Bicalutamide IP50mg (Each Film Tablet contains Bicalutamide IP50mg)) के लिये बिड प्रस्तुत की गई थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 14.12.2021 एवं वित्तीय बिड दिनांक 01.04.2022 को खोली गई।

फर्म ने अपने पत्र दिनांक 05.04.2022 द्वारा अवगत कराया कि निम्न आइटमों की दर गलत कोट हो गयी हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Item Name & Item code	RMSCL Packing Size	Quoted Rate by Firm (amount in Rs.)
1	Tab. Valganciclovir 450 mg & 722	10X10	2700.00+5% = 2835.00
2	Tab. Bicalutamide IP 50 mg (Each Film Tablet contains Bicalutamide IP 50 mg) & 741	10X10	314.00+12%= 351.68

इस संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक 1006 दिनांक 12.04.2022 द्वारा फर्म के विरूद्ध निविदा शर्तों के तहत कार्रवाई किये जाने एवं L-2 फर्म को L-1 मानकर निविदा किये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया। इस संबंध में फर्म से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला।

प्रकरण दिनांक 22.04.2022 को हुई क्रय समिति की बैठक मे रखा गया, जिसमें बिड को Modified मानते हुए निविदा शर्तों के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया ।

प्रकरण पुनः दिनांक 26.08.2022 को हुयी अनुशासनात्मक समिति की बैठक में रखा गया था। जिसमें फर्म के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अनुशासनात्मक समिति द्वारा बिंड में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की अनुशंषा की गई। बिंड शर्त संख्या 9(7) में उल्लेखित प्रावधान— "No Bidder shall be allowed to claim revision or modification of bid after opening of bid. If any bidder withdraws or modifies its bid after opening of bid the bid security taken from the bidder shall be forfeited. Representation to make correction in the Bid documents on the ground of Clerical error, typographical error, etc., committed by the Bidders in the Bids shall not be entertained after submission of the Bids. Conditions such as "SUBJECT TO AVAILABILITY" "SUPPLIES WILL BE MADE AS AND WHEN SUPPLIES ARE RECEIVED" etc., will not be entertained under any circumstances and the Bids of those who have given such conditions shall be treated as incomplete and accordingly the Bid will be rejected." एवं आरएमएससीएल की डिबारिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 में अंकित प्रावधान— "The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it





fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years", के तहत फर्म UNITED BIOTECH PVT LIMITED को आईटम कोड 722 & 741 के लिये आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग (participate) लेने हेतु यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार किया जाता है एवं राशि रू 236000/-(GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रू दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

आरएमएससीएल

Dated: 16,09,2022

क्रमांक : F.02(338)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2021/ 2958 प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।

- 2. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स UNITED BIOTECH PVT LIMITED द्वारा बिड सिक्योरिटी राशि के लिये बिड में Bid Security Declaration (on Rs.50/- stamp) लगाया गर्या था। फर्म की निगम में जमा राशि या कोई भुगतान बकाया है से राशि रू. 236000(GST@18%) होल्ड करें। फर्म द्वारा निर्धारित तिथि तक राशि रू. 236000/- निगम में जमा नहीं कराने की स्थिति में अलग से यूओ. नोट द्वारा अवगत करवा दिया जावेगा।
- 3. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
- विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल ।
- 5. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स UNITED BIOTECH PVT LIMITED, FC-B-a Mohan Co-OP Industrial Estate Mathura Road, New Delhi-110044 को भेजकर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी राशि रू. 236000/- (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रू दो लाख छत्तीस हजार मात्र) निगम में दिनांक 26.09.2022 तक जमा (डीडी/चालान/RTGS) कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।

6. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट तथा E-aushadhi Software में अपलोड़ करावें।